

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर

क्रमांक:- संस्था-2 / 2021/3011

दिनांक:- 21/5/2021

विज्ञप्ति

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशांक प(1)/चिस्वा/गुप-2/2020 जयपुर दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्रदेश में कोविड 19 से उत्पन्न परिस्थिति के परिपेक्ष्यमें कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक को 31 जुलाई 2021 तक चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु निम्न पद अनुसार रखा जाना है।


S.No	Name of Contractual post	No of Post	Essential Qualification	फिक्स मानदेय प्रतिमाह	विशेष विवरण
1	कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट	25	MBBS with RMC Registration certificate	39300/-	प्राथमिकता पीजी/एमडी मेडिसिन एवं एमडी एनेस्थीसिया वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी शेष हेतु एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट अनुसार
2	कोविड स्वास्थ्य सहायक	711	GNM with RNC Registration Certificate	7900/-	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर 01 पद प्रत्येक प्रा.स्वा. केन्द्र पर 02 पद प्रत्येक सामुस्वा.केन्द्र पर 03 पद शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड 02 पदों का कोविड स्वास्थ्य सहायकों का घयन किया जाना है।

निर्धारित योग्यताधारी आवेदनकर्ता को अपना आवेदन/प्रार्थना पत्र स्वयं हस्ताक्षरित बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो एवं निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति व मूल निवासी प्रमाण पत्र (1 सेट) संलग्न करना आवश्यक है।

नोट: -

- उक्त मानदेय के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट पद हेतु आवेदन पत्र स्वास्थ्य भवन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर स्वास्थ्य भवन में जमा कराये जायेंगे।
- कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन में शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत+तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर घयन किया जायेगा। स्थानीय को प्राथमिकता दी जायेगी।
- कोविड स्वास्थ्य सहायक पद हेतु जालोर शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वास्थ्य भवन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर में निर्धारित स्थान पर जमा कराये जायेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने आवेदन संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- अभ्यर्थियों से दिनांक 27.05.2021 सायं 04.00 बजे तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात किसी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

घयन की प्रक्रिया जिला कलेक्टर जालोर के आदेशांक 3010 दिनांक 21.05.2021 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष निर्देशानुसार नियमानुसार योग्यता की जांच/दस्तावेज सत्यापन/मेरिट के आधार पर की जाकर श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर के अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णत अस्थायी दिनांक 31.07.2021 तक होगी तथा किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में न्याय क्षेत्र जालोर होगा एवं उक्त विज्ञप्ति को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। विस्तृत विवरण कार्यालय में देखा जा सकता है।



(डॉ. गजेन्द्र सिंह देवल)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जालोर

आवेदन पत्र का प्रारूप

पदनाम जिसके लिए आवेदन किया गया है

1. आवेदन का नाम

2. पिता का नाम

3. पति का नाम

4. जन्म तिथि

5. मूल निवासी :- जिला (राजस्थान) (मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. पूर्ण पता :- ग्राम पोस्ट प.स.

ग्राम पंचायत जिला

7. मोबाईल नम्बर

8. सीनियर सैकेण्डरी :- पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत (दस्तावेज संलग्न करें)

9. तकनीकी योग्यता :- सभी वर्षों के प्राप्तांकों का प्रतिशत (दस्तावेज संलग्न करें)

10. विषय विशेषज्ञ योग्यता (यदि हो तो) (दस्तावेज संलग्न करें)

11. आरएमसी/आरएनसी का पंजीयन क्रमांक वैधता की तिथि (दस्तावेज संलग्न करें)

स्वप्रमाणित
नवीनतम फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर